प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 47/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

टीसीसीसीपीआर-2018 के तहत प्रधान इकाईओं द्वारा हेडर और कंटेंट टेम्पलेट का पुनर्सत्यापन

नई दिल्ली, 25 **मई** 2023- **विभिन्न संस्थाएं जैसे बैंक**, **अन्य वित्तीय संस्थान**, **बीमा कंपनियां**, **व्यापारिक कंपनियां**, **व्यापारिक संस्थाएं आदि एसएमएस के माध्यम से दूरसंचार सब्सक्राइबरों को वाणिज्यिक मैसेज भेजती हैं। भादूविप्रा के टीसीसीसीपीआर**, 2018 **विनियमों में इन संस्थाओं को प्रधान इकाईओं(पीई) के रूप में संदर्भित किया गया है।**

विनियामक ढांचे के अनुसार, **इस उद्देश्य के लिए कोई भी व्यावसायिक संचार केवल पीई के नाम से पंजीकृत हेडर का उपयोग करके ही किया जा सकता है। हैडर का मतलब वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए इन विनियमों के तहत पीई को सौंपी गई अल्फ़ान्यूमेरिक स्ट्रिंग है।**

पीई को एक्सेस प्रदाताओं से पंजीकृत कंटेंट टेम्पलेट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एसएमएस के माध्यम से किसी भी वाणिज्यिक संचार को पीई द्वारा एक्सेस प्रदाता के साथ पंजीकृत कंटेंट टेम्पलेट से स्क्रबिंग किया जाता है और, **यदि यह विफल रहता है**, **तो ऐसे एसएमएस को उपभोक्ताओं को भेजने की अनुमति नहीं है।**

भादूविप्रा ने देखा है कि कुछ पीई ने बड़ी संख्या में हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट पंजीकृत किए हैं और कई बार इनमें से कुछ का दुरुपयोग कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा किया जाता है। इसे रोकने के लिए, **भादूविप्रा ने अपने** 16 **फरवरी** 2023 **के निर्देश के माध्यम से डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के पुनर्सत्यापन का**, **और सभी असत्यापित हेडर और मैसेज टेम्प्लेट को निर्देश जारी होने की तारीख से क्रमशः** 30 **और** 60 **दिनों के भीतर ब्लॉक कर देने का**, **निर्देश दिया था ।**

फरवरी 2023 **में**, **भादूविप्रा ने आरबीआई**, **सेबी**, **एनएचए और सभी केंद्र/राज्य सरकार के विभागों को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे अपने दायरे में आने वाले सभी संस्थानों/विभागों को**, **जो बल्क एसएमएस भेजते हैं**, **यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर और मैसेज टेम्प्लेट का दुरुपयोग नहीं हो**, **उनके स्तर पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के बारे में अवगत करें ।**

यह देखा गया है कि कई पीई ने अभी तक हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट का सत्यापन पूरा नहीं किया है। पीई द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण, **ऐसे पीई के नाम से पंजीकृत हेडर और कंटेंट**

टेम्पलेट का दुरुपयोग संभावित बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप स्पैम और वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में जनता को असुविधा हो सकती है।

पीई द्वारा हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट का फिर से सत्यापन करने में किसी भी तरह की देरी के परिणामस्वरूप उनके हेडर, कंटेंट टेम्प्लेट और मैसेज ब्लॉक हो सकते हैं। भादूविप्रा अगले दो सप्ताह में प्रगति की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है। इसलिए, सभी पीई को हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करना चाहिए।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (क्यूओएस) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है। ।

ह०/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा